

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2227]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2016/भाद्र 21, 1938

No. 2227]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2016/BHADRA 21, 1938

## इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2016

का.आ. 2927(अ).—केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 1 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 सितम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 से धारा 10 और धारा 24 से धारा 47 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 13012/64/2016/विधि/युआईडीएआई]

आर. के. सुधांशु, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2016

**S.O. 2927(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby appoints the 12<sup>th</sup> day of September 2016, as the date on which the provisions of Sections 1 to 10 and 24 to 47 of the said Act shall come into force.

[F. No.13012/64/2016/Legal/UIDAI]

R. K. SUDHANSHU, Jt. Secy.

4402 GI/2016